

# सर्व शिक्षा अभियान, सारण ।

निजी विद्यालयों के प्रस्वीकृति से संबंधित

प्रपत्र— ॥

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रारंभिक एवं सर्व शिक्षा अभियान)

पत्रांक :- SSA/Aff./2019-2020/0035/ २४ | दिनांक ०८/०२/2019

सेवा में,

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबंधक,

स्वामी विवेकानंद हाई स्कूल

लगुनी, सारण

विषय :- बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम 5 के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र ।

महाशय / महाशया,

आपके आवेदन पत्र दिनांक 29-9-2018 और उसके क्रम में आपसे किये गये पंत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालय स्वामी विवेकानंद हाई स्कूल, लगुनी, सारण कक्षा 1 से 8 तक संचालन हेतु तीन वर्षों 16 फरवरी 2019 से 15 फरवरी 2022 अवधि के लिए औपबंधिक प्रस्वीकृति प्रदान की जाती है ।


1. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी ।
2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 तथा बिहार राज्य एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा ।
3. विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर एवं वंचित समुदाय के बच्चों को करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व ? प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा ।
4. कड़िका 3 में उद्धृत बच्चों के मामले में विद्यालय के बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी । प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा ।
5. सोसाइटी/विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का व्यक्तिगत अनुदान नहीं प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी बच्चा, उसके माता-पिता या अभिभावक का परीक्षण नहीं किया जाएगा ।

Manager  
SWAMI VIVEKANAND HIGH SCHOOL  
LAGUNI (SARAN)

6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाणपत्र, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म-स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इनकार नहीं कर सकेगा ।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किये जायेंगे :—
- क. किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोक कर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निस्कासित किया जाएगा ।
  - ख. किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जायेगा ।
  - ग. किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार का बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी ।
  - घ. प्रारंभिक शिक्षा पूरी करनेवाला प्रत्येक बच्चा को नियम 22 के आलोक में प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा ।
  - ड. अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलांग/विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जाएगा ।
  - च. शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 में, उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्तमान में कार्यतर वैसे सभी शिक्षक, जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते हैं, वे 5 वर्षों के अन्दर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेंगे ।
  - छ. शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे ।
  - ज. शिक्षक निजी-स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण-गतिविधि में संलग्न नहीं होंगे ।
8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा ।
9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा ।
10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्धृत मानकों एवं मानदंडों को बरकरार रखेगा । विद्यालय के अन्तिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवत् :—
- |  |              |
|--|--------------|
| विद्यालय— परिसर का क्षेत्रफल                 | : बारह कट्टा |
| कुल निर्मित क्षेत्र                          | : 6539 फीट   |
| (वर्गकक्ष/प्रधानाध्यापक कक्ष)/स्टोर/रसोई घर) |              |
| खेल के मैदान का क्षेत्र                      | : नहीं       |
| वर्ग कक्षों की कुल संख्या                    | : 13         |
| प्रधानाध्यापक—सह—कार्यालय—सह—भंडार कक्ष      | : हाँ        |
| बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग—अलग शौचालय      | : हाँ        |
| पेयजल की सुविधा                              | : हाँ        |

*Manager*  
SWAMI VIVEKANAND HIGH SCHOOL  
LAGUNI (SARAN)

- मध्याहन भोजन के लिए रसोई—घर : हाँ
- बाधारहित अधिगम सामग्री / खेल—कुद उपकरण / पुस्तकालय : हाँ
11. कोई भी अप्रस्वीकृत वर्ग कक्ष विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा ।
  12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएं अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा ।
  13. विद्यालय सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निबंधित सोसाइटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा ।
  14. विद्यालय किसी व्यक्ति समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा ।
  15. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपयुक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी । प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रारंभिक एवं सर्व शिक्षा अभियान) को भेजी जाएगी ।
  16. आपके विद्यालय को आबंटित प्रस्वीकृति कोड संख्या 0029 है । इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धृत किया जाय ।
  17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा / जिल कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रारंभिक एवं सर्व शिक्षा अभियान) के द्वारा समय—समय पर मांग किये गये प्रतिवेदन एवं सूचनाएं विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी और राज्य सरकार के रूप से प्रस्वीकृति की शर्तों के लगातार रूप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाइयों को दूर करने हेतु समय—समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय द्वारा किया जाएगा ।
  18. यदि सोसाइटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाय ।



जिला कार्यक्रम पदाधिकारी

प्रारंभिक एवं सर्व शिक्षा अभियान, सारण

*Manager*  
SWAMI VIVEKANAND HIGH SCHOOL  
LAGUNI (SARAN)